8.2.2023 पक्षकारान वकील उपस्थित।

आवेदन पत्र पर पक्षकारान की बहस सुनी गई

प्रार्थी वकील ने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थीनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 समस्त हिन्दू विधि से शासित है। प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी का खेत 341 13 खसरा नम्बर 282 रकबा 341 बीघा 13 विस्वा, मौजा आडेल हाल ग्राम सारणों का तला तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर में आया है। धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रार्थीनीगण अपने पिता के साथ इस आराजी में सहदायिक समान हिस्से का सह खातेदार है तथा बराबर हिस्से का सह खातेदार घोषित किये जाने हेतु प्रार्थीनीगण ने एक वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश किया है जो प्रथम दृष्टया साबित है। कि उक्त आराजी जिसमें प्रार्थीनीगण का हिस्सा सृजित हो चुका है राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थीनी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड की इन प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर बिना परिवार की वैध आवश्यकता के विप्रार्थीनी संख्या 1 आराजी का विक्रय हस्तांतरण करने पर उतारू है और ऐसा करने में वह अगर सफल हो गया तो न केवल प्रार्थीनीगण के दावे का मकसद समाप्त होगा अपितु प्रार्थीनीगण को भारी क्षति होगी व मुकदमात की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन प्रार्थीनीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमायें कि वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 282 रकबा 341 बीघा 13 विस्वा वाके मौजा आडेल हाल ग्राम सारणों का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के किसी भी भाग का बेचान हस्तांतरण न करे एवं आराजी के रेकर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे। साथ ही विप्रार्थी संख्या 17 को भी पाबंद फरमावें कि वाद के लम्बित रहते इस आराजी के हस्तांतरण बेचान रहन के किसी दस्तावेज को पंजियन हेतु स्वीकार न करे। तहसीलदार सिणधरी से इस निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करने हेतु आदेश फरमायें।

प्रार्थी वकील की उक्त दलील के समर्थन में विप्रार्थीगण के वकील ने भी प्रार्थी की बहस के तथ्यों को स्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 282 रकबा 341 बीघा 13 विस्वा मौजा आडेल हाल ग्राम सारणों का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के रेकर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे।

हमनें प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात [illegible] गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में [illegible] किया गया। जिसमें पाया कि उक्त आराजी पक्षकारान के पूर्व पुरूष [illegible] प्रभु के नाम वक्त भू–प्रबन्ध खातेदारी में अंकित हुई। कि प्रार्थी [illegible] अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पैतृक पुश्तेनी होने के [illegible] अनुसार कि जिसके अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्व पुरूष भीखा की थी। भीखा के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में मात्र विप्रार्थी सं. 1 से 4 के नाम दर्ज हुआ। जंहा तक प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उनका हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Veer[illegible]
Date: 2023.02.17 15:06:[illegible]
Reason: SelfAttested

37/2019

खातेदारी हिस्सा सामुहिक रूप से हिस्सा होने अथवा नहीं होने का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य /सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई निर्णित किया जाना है, परन्तु प्रथम दृष्टया उभयपक्ष द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का और आगे से आगे बेचान या हस्तांतरण इत्यादि कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक पक्षकारान को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरियें अस्थाई स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि मौजा आडेल हाल ग्राम सारणों का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 282 रकबा 341 बीघा 13 विस्वा भूमि के संबंध में किसी प्रकार का बेचान इत्यादि नहीं का राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:06:26 IST
Reason: SelfAttested